



एम.ए.सी.प्र.सं.-46 /25  
हेमलता बनाम महेन्द्र सिंह व अन्य  
सी.एन.आर.नं.-RJAJO80003132025  
दिनांक-14.03.2026

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत- मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण मुकाम अजमेर

श्रीमती हेमलता

बनाम  
एम.ए.सी.प्र. संख्या-46/2025

महेन्द्र सिंह व अन्य

तारीख हुक्म तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए है
14.03.2026	<p>अधिवक्तागण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवार्ड अनुसार बाकीदार अप्रार्थी यूनिवर्सल साम्पो जन. इ.कं.लिमि. के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-174 एम.वी.एक्ट एवं सपठित आदेश 21 नियम 46 सी.पी.सी.के तहत इजराय प्रस्तुत है जिसमें पंचाट राशि जमा हो चुकी है एवं बकाया ब्याज राशि के एवज में अप्रार्थी यूनिवर्सल साम्पो जन. इ.कं.लिमि. ने टी.डी.एस. जमा कराने हेतु समय चाहा है। प्रार्थी ने टी.डी.एस. प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सीमा तक विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए इजराय आगे नहीं चलाना जाहिर किया है। इसी टी.डी.एस. प्रमाण पत्र की शर्त पर लोक अदालत में समझाइश कर इजराय के निस्तारण की सहमति दी गई।</p> <p>इजराय का कोई भाग अंतिम वसूली तक नष्ट नहीं किए जाने का नोट अंकित किया जावे। फिलहाल इजराय दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(महेन्द्र कुमार ढाबी) न्यायाधीश, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर</p>	